



2026:AHC:10295

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या - 328 वर्ष 2026

शाहिद अहमद एवं 4 अन्य

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उ. प्र. राज्य एवं 2 अन्य

.....प्रत्यर्थी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : जसवंत राय

प्रत्यर्थी के अधिवक्ता : सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार,

1. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता और राज्य-प्रत्यर्थियों के विद्वान शासकीय अधिवक्ता को सुना।

2. वर्तमान याचिका में उठाया गया विवाद इस न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या 44330 वर्ष 2012 (घनश्याम तिवारी व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य) में पहले ही निर्णित किया जा चुका है, जिसके विरुद्ध विशेष अपील और एस.एल.पी. पहले ही खारिज की जा चुकी है। उपर्युक्त रिट याचिका में दिनांक 07.09.2012 को पारित आदेश निम्नानुसार है :-

“इस याचिका में याचिकाकर्ताओं की एकमात्र शिकायत यह है कि क्या पुलिस विभाग में सिपाही के पद पर नियुक्ति से पहले प्रशिक्षण में बिताए गए समय को, उन्हें प्रोन्नत वेतनमान देने के लिए गिना जा सकता है।

मैंने याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता श्री राजेश सिंह के तर्क सुने हैं।

इस मुद्दे की जांच इस न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या 24910 वर्ष 2006 में की गई थी, और उस याचिका को निम्नलिखित टिप्पणियों के साथ स्वीकार कर लिया गया था:-

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



"अतः, ऊपर बताए गए कारणों से, प्रत्यर्थियों का यह रवैया उचित नहीं है कि वे याचिकाकर्ताओं को प्रोन्नत वेतनमान देने के लिए 24 वर्षों की सेवा की गणना करते समय प्रशिक्षण में बिताए गए समय को न गिनें। इस रिट याचिका को स्वीकार किया जाता है, और प्रत्यर्थियों को यह निर्देश दिया जाता है कि वे याचिकाकर्ताओं को दूसरा प्रोन्नत वेतनमान देने के उद्देश्य से उनके प्रशिक्षण काल को भी गणना में शामिल करें।"

3. अतः, उपर्युक्त रिट याचिका संख्या 24910 वर्ष 2006 में दिनांक 8 अप्रैल, 2009 को पारित निर्णय और आदेश में बताए गए कारणों से, यह याचिका स्वीकार किए जाने योग्य है और इसे स्वीकार किया जाता है। प्रतिवादी, अतिरिक्त वेतन-वृद्धि प्रदान करने के प्रयोजन हेतु याचिकाकर्ताओं की प्रशिक्षण अवधि की गणना करेंगे।

4. उपर्युक्त मामले में पारित आदेश के अनुसरण में, इस रिट याचिका का भी निस्तारण इस निर्देश के साथ किया जाता है कि याचिकाकर्ताओं के अतिरिक्त वेतन-वृद्धि प्रदान किए जाने के दावे पर, ऐसे लाभ को प्रदान करने के प्रयोजनार्थ प्रशिक्षण अवधि को भी शामिल मानते हुए, तीन माह की अवधि के भीतर विचार किया जाएगा।

जनवरी 16, 2026

राजेश

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)